प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 05.07.2026

➢ **थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर ले जाने एवं दुष्कर्म की घटना कारित करने की घटना में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 10.05.2026 को वादी द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के घर से कहीं गुम हो जाने के सम्बन्ध में दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 058/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में अपहृता/पीड़िता की बरामदगी, मेडिकल परीक्षण एवं बयान अन्तर्गत धारा 180/183 बीएनएस के आधार पर धारा 64(1)/87 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्तगण 1. आनंद पुत्र रामविलास निवासी नवलपुर जनपद कानपुर देहात, 2. रवि कुमार पुत्र लालता निवासी ग्राम असन्दा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात के नाम प्रकाश में आये। थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त रवि कुमार पुत्र लालता निवासी ग्राम असन्दा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को ग्राम उमरन थाना रनियां से दिनांक 04.07.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

रवि कुमार पुत्र लालता नि0 ग्राम असन्दा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात, उम्र लगभग 20 वर्ष,

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 187/2026 धारा 64(1/87/137(2) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात,

गिरफ्तार करने वाली थाना रसूलाबाद पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रामप्रकाश,
2. का0 236 विनोद पुरी,
3. रि0का0 गौरव कुमार विमल,